(90)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्र.क्र. /2017 R

III/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/3847

केदार प्रसाद गौतम तनय स्व0 श्री सिद्धमुनि गौतम उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम जिवला तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0 ---- निगरानीकर्ता

बनाम

1–राजेन्द्र प्रसाद दुबे तनय स्व0 श्रीकृष्ण दुबे निवासी ग्राम जिवला तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

2– शासन म0प्र0 ---- गैरनिगरानीकर्ता

श्री मुकेश भार्गव एड. द्वारा आज दि. 12-10-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 12-10-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
पेशी दिनांक 16-10-17

निगरानी विरूद्ध राजस्व निरीक्षक बृत्त रायपुर कर्चु0 जिला रीवा द्वारा प्र0क0 125 अ–12/16–17 मे सीमांकन पुष्टिकरण आदेश दिनांक 7–9–17 ,

---

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 1959 ई0

मुकेश भार्गव
12-10-17
ग्वालियर

प्राप्त
12/10/17
शाखा प्रभारी (रा.मं.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है –

1– यह कि अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन पुष्टि करण आदेश दिनांक 7–9–17 विधि व प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

2– यह कि अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक के समक्ष यह स्पष्ट था कि ग्राम जिवला की भूमि क0 171 एवं 172 से लगा हुआ ग्राम ड़रिया तहसील हुजूर जिला

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/3847

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
13-10-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 125/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 07.9.17 के विरूद्व म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2- प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा को धारा 129 का आवेदन प्रस्तुत कर आराजी नम्बर 171, रकवा 0.061, 172, रकवा 0.291 एवं 165 रकवा 0.065 का सीमांकन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा पटवारी को सीमांकन कराने हेतु आदेशित किया गया। हल्का पटवारी द्वारा एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा गठित दल के साथ सीमांकन किया गया । सीमांकन के समय अनावेदक केदारनाथ गौतम आदि द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर कहा गया कि उक्त नम्बरान दो ग्रामों की सीमा जिवला एवं गड़रिया की सीमा में स्थित हैं एवं उक्त ग्रामों की सीमा निर्धारण का विवाद पूर्व से चल रहा है। आवेदक द्वारा यह भी आपत्ति प्रस्तुत की थी कि उनके द्वारा पूर्व में ग्राम गडरिया की भूमि का सीमांकन कराने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, तो यह कहकर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि दो ग्रामों की सीमा होने के	

कारण दोनों राजस्व निरीक्षक रीवा (गिर्द) एवं रायपुर कर्चुलियान के सहयोग से सीमांकन हेतु तहसीलदार द्वारा आदेशित किया गया था। लेकिन सीमांकन नहीं हो सका था। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3— आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन पुष्टिकरण आदेश दिनांक 7.9.17 विधि व प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया है कि राजस्व निरीक्षक के समक्ष यह स्पष्ट था कि ग्राम जिवला की भूमि कमांक 171 एबं 172 से लगा हुआ ग्राम गडरिया तहसील हुजूर जिला रीवा तथा सीमावर्ती भूमि कमांक 307, 308, 309 के भूमिस्वामी निगरानीकर्ता है, शासकीय नक्शा की सीमा सही न होने से ग्राम गड़रिया एवं ग्राम जिवला की सीमा विवादित है जिसका निराकरण दोनों ग्राम अर्थात जिवला तहसील रायपुर कर्चुलियान एवं ग्राम गडरिया तहसील हुजूर जिला रीवा की पूरी टीम यानी तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी एवं अन्य भू—अभिलेख अधिकारियों की उपस्थिति में नाप किया जाकर गांव की सीमा निश्चित किया जाना तथा इसके पश्चात ही सीमांकन किया जाना उचित था इस संबंध में मौके पर उपस्थित निगरानीकर्ता एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा विरोध भी किया गया तब पटवारी द्वारा कहा गया कि वह सीमा का परीक्षण करने हेतु सरसरी तौर पर नाप करेगा तथा भूमि कमांक 171, व 172 का सीमांकन दोनों तहसीलों व दोनों ग्रामों के पटवारी व तहसीलदार की उपस्थिति में करेगा किन्तु बाद में बिना नाप के व बिना पत्थर गडाये ही सीमांकन प्रतिवेदन पेश कर दिया गया तथा

उपरोक्त सीमांकन की पुष्टि करने की भूल की है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक द्वारा स्वयं अपनी भूमि कमांक 307, 308, 309 के सीमांकन हेतु दिनांक 21.4.16 को राजस्व निरीक्षक ग्राम गड़रिया तहसील हुजूर जिला रीवा को आवेदन दिया था तथा विधिवत शुल्क अदा किया था किन्तु ग्राम की सीमा विवादित होने के कारण तथा नक्शे में सही स्थिति न होने के कारण राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन दिया गया तब तहसीलदार तहसील हुजूर द्वारा दिनांक 25.6.16 को यह आदेशित किया गया कि राजस्व निरीक्षक गिर्द तहसील हुजूर जिला रीवा, राजस्व निरीक्षक रायपुर कर्चु0 पटवारी हल्का कोष्टा सभी दल गठित कर विधिवत मौके पर ग्राम की सीमा निशिचत कर प्रतिवेदन दें, किन्तु दल गठित करने के बावजूद आज तक मौके पर नाप हेतु नहीं गये इस कारण निगरानीकर्ता की भूमियों का सीमांकन नहीं हो सका इस संबंध में आपत्ति मौके पर की गयी थी तथा मौजूद पटवारी को सभी स्थितियों से अवगत कराया गया था किन्तु फिर भी असत्य सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी जिसकी पुष्टि करने की भूल की गयी है। उनके द्वारा तर्क यह भी दिया गया है कि सही सीमा का निर्धारण नहीं कर दिया जाता तब तक कोई नाप किया जाना संभव नहीं है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 7.9.17 निरस्त किया जावे तथा आवेदक की निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4-- आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक

द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया गया है कि आपत्तिकर्ता अतुल कुमार दुवे व केदार नाथ गौतम द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की लेकिन उनके द्वारा स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया था कि उक्त नम्बरान जिवला एवं गड़रिया दो ग्रामों की सीमा में स्थित हैं, उक्त ग्रामों की सीमा निर्धारण का विवाद पूर्व से चल रहा है। यह आपत्ति पटवारी द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल रायपुर कर्चु0 को सीमांकन प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत कर भेज़ा गया था, लेकिन राजस्व निरीक्षक मण्डल रायपुर कर्चु0 द्वारा आपत्तियों की अनदेखी कर आदेश पारित किया गया है, जो विधि प्रावधानों से त्रुटिपूर्ण परिलक्षित प्रतीत होता है। दो ग्रामों के नम्बरान का विवाद तहसीलदार रायपुर कर्चु0 एवं तहसीलदार हुजूर जिला रीवा द्वारा दोनों ग्रामों के राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों का दल गठित कर सीमाओं की नाप कर सीमांकन की कार्यवाही करना चाहिये थी।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के प्रकरण कमांक 125 / अ–12 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 07.9.17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा गठित दल दोनों ग्रामों की सीमाओं का नाप कर एवं धारा 129 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये, उभयपक्ष एवं सरहदी कास्तकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः सीमांकन की कार्यवाही करें।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य